

## प्रेषक

महानिदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग,  
हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

सेवा में

हरियाणा राज्य में सभी आयुक्त एंव उपायुक्त ।

हरियाणा राज्य में सभी विभागाध्यक्ष ।

हरियाणा राज्य में सभी निगमों/बोर्डों के प्रबन्धक निदेशक/मुख्य प्रशासक ।

हरियाणा राज्य में सभी कोषाधिकारी ।


यादी क्रमांक 8651—टीए—हर—2टी—2021 / 7615

दिनांक: २१/१२/२१

विषय:- श्री मूल चन्द तोमर, सहायक कोषाधिकारी, उप—खजाना, तावड़ू के पक्ष में बेबाकी प्रमाण पत्र जारी करने बारे ।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में ।

श्री मूल चन्द तोमर, सहायक कोषाधिकारी, उप—खजाना, तावड़ू के कार्यालय से 58 वर्ष की आयु उपरान्त दिनांक 31.05.2022 को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होना है । आपसे अनुरोध है कि इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर—अन्दर इस विभाग को सूचित करने का कष्ट करें उनके विरुद्ध आपके पास किसी प्रकार के कोई डयूज तो नहीं है ।

  
संयुक्त निदेशक,

कृते: महानिदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग,  
हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

पृ० क्रमांक 8651—टीए—हर—2टी—2021 /

दिनांक:

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, वि० ले० शाखा ।  
(रजि० / ए०डी०)
2. कोषाधिकारी, नूंह ।
3. सहायक कोषाधिकारी तावड़ू जिला नूंह ।
4. श्री मूल चन्द तोमर सहायक कोषाधिकारी, उप—खजाना, नूंह को भेजते हुए लिखा जाता है कि आप पिछले 10 वर्षों में जिन—जिन कार्यालयों में कार्यरत रहें हैं, से अपने पक्ष में निजि रुचि लेकर बेबाकी प्रमाण पत्र शीघ्र अति शीघ्र इस विभाग को भिजवाने का कष्ट करें ।

  
संयुक्त निदेशक,  
कृते: महानिदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग,  
हरियाणा, चण्डीगढ़ ।